उधार पर राज्य की गारंटी पर दिशा-निर्देश

प्रिलिम्स के लिये:

उधार पर राज्य की गारंटी पर RBI के दिशा-निर्देश, [भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)](), [भारतीय संविदा अधिनियम, 1872]()।

प्रिलिम्स के लिये:

उधार पर राज्य की गारंटी पर RBI के दिशा-निर्देश।

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** द्वारा गठित एक कार्य समूह ने **राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटी से संबंधित** मुद्दों के समाधान के लिये कुछ सिफारिशें की हैं।

- जुलाई 2022 में आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 32वें सम्मेलन के दौरान कार्य समूह का गठन किया गया।

गारंटी क्या है?

- **परिचय:**
  - भुगतान करने और किसी **निवेशक/ऋणदाता को उधारकर्त्ता द्वारा डिफॉल्ट के जोखिम** से बचाने के लिये 'गारंटी' राज्य हेतु एक कानूनी दायित्व है।
  - **भारतीय संविदा अधिनियम, 1872** के अनुसार, एक गारंटी, किसी तीसरे व्यक्ति के डिफॉल्ट के मामले में "वादा पूरा करने या दायित्व का निर्वहन करने" का एक अनुबंध है। इसमें तीन पक्ष शामिल हैं: **प्रमुख देनदार, लेनदार और ज़मानतदार।**
    - **लेनदार:** वह संस्था जिसे गारंटी दी गई है। यह वह पक्ष है जिसे **भुगतान देय** है और वे गारंटी द्वारा सुरक्षित हैं।
    - **प्रमुख देनदार:** वह **संस्था जिसकी ओर से गारंटी दी गई है। यह वह पार्टी है जिस पर क़र्ज़ बकाया या देनदारी** है।
    - **ज़मानतदार: गारंटी प्रदान करने वाली इकाई** (इस संदर्भ में राज्य सरकारें), जो वादा पूरा करने या **डिफॉल्ट के मामले में मुख्य देनदार की देनदारी का निर्वहन** करने का वादा करती है।
      - यदि गारंटीकर्त्ता डिफॉल्ट करता है तो वह वादा पूरा करने या **प्रमुख देनदार की देनदारी का निर्वहन करने के लिये कानूनी दायित्व** लेता है।
  - एक गारंटी को **'क्षतिपूर्ति'** अनुबंध के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिये जो ऋणदाता को वचनकर्त्ता/प्रॉमिसर (या मूल देनदार) के आचरण से होने वाले नुकसान से बचाता है।
- **चित्रण (Illustration):**
  - यदि **A**, B को कुछ **सामान या सेवाएँ वितरित करता** है और **B सहमत भुगतान नहीं करता** है, तो B चूककर्त्ता है तथा उस पर ऋण के लिये मुकदमा दायर होने का जोखिम है।
  - जब C आगे आता है और वादा करता है कि वह **B के लिये भुगतान करेगा**। A मना करने के अनुरोध से सहमत है। C की कार्रवाई एक गारंटी का गठन करती है।
- **गारंटी का उद्देश्य:**
  - राज्य स्तर पर, गारंटियों का उपयोग आमतौर पर तीन स्थितियों में किया जाता है।
    - **रियायती ऋण की मांग:** सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिये द्विपक्षीय या बहुपक्षीय एजेंसियों से **रियायती ऋण की मांग** करते समय, अक्सर **संप्रभु गारंटी** की आवश्यकता होती है।
    - **परियोजनाओं की व्यवहार्यता में सुधार के लिये:** महत्त्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक लाभ का वादा करने वाली **परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुधार हेतु गारंटियाँ नियोजित** की जाती हैं।
    - **कम ब्याज पर संसाधनों को सुरक्षित करना:** सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कम ब्याज़ दरों अथवा अधिक अनुकूल शर्तों पर संसाधनों को सुरक्षित करने के लिये गारंटी का उपयोग कर सकते हैं।

- **गारंटी से संबंधित जोखिम:**
  - उपयुक्त समय में गारंटियाँ उपयोगी होती हैं किंतु इनके उपयोग से **राजकोषीय जोखिम** उत्पन्न होता है।
  - कार्य-दल की रिपोर्ट के अनुसार **गारंटी के मामले में आमतौर पर अग्रिम नकद भुगतान की आवश्यकता नहीं होती** है जिसके परिणामस्वरूप इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
  - गारंटी ट्रिगर तथा संबंधित लागतों का अनुमान लगाना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है जिससे इस प्रथा से **अप्रत्याशित नकदी बहिर्वाह** हो सकता है एवं **राज्य के लिये ऋण में वृद्धि** हो सकती है।
  - **वाणिज्यिक बैंकों** अथवा वित्तीय संस्थानों **से ऋण प्राप्त करने के लिये** राज्य सरकारें अक्सर राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों, सहकारी संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों जैसी **विभिन्न संस्थाओं की ओर से गारंटी प्रदान करने के लिये बाध्य** होती है।
    - राज्य द्वारा गारंटी दिये जाने के बदले में ये संस्थाएँ **राज्य सरकार को गारंटी कमीशन अथवा शुल्क का भुगतान** करती हैं।

गारंटी के संबंध में RBI कार्य-दल की प्रमुख अनुशंसाएँ क्या हैं?

- **गारंटी की परिभाषा:**
  - कार्य-दल के अनुसार गारंटी शब्द का उपयोग **व्यापक अर्थ** में किया जाना चाहिये तथा इनमें वे सभी कारक शामिल होने चाहिये जिनके अंतर्गत उधारकर्त्ता द्वारा भविष्य में **भुगतान करने में विफल रहने की दशा में गारंटीकर्त्ता (राज्य) द्वारा उसके ऋण भुगतान के दायित्व का निर्वहन** किया जाता है।
  - इसके अतिरिक्त राजकोषीय जोखिम का आकलन करने के लिये राज्य को **सशर्त अथवा शर्त रहित अथवा वित्तीय अथवा निष्पादन गारंटी** के बीच अंतर स्पष्ट करना चाहिये।
    - ये सशर्त देनदारियाँ हैं जो **भविष्य में संभावित जोखिम** पेश कर सकती हैं।
- **केवल मूल ऋण के लिये गारंटी:**
  - सरकारी गारंटी का उपयोग राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं के माध्यम से **वित्त प्राप्त करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये** जो राज्य सरकार के बजटीय संसाधनों के विकल्प के रूप में कार्य करती हैं।
    - इसके अतिरिक्त गारंटी का उपयोग करके **राज्य पर प्रत्यक्ष दायित्व/वस्तुतः दायित्व बनाने** की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
  - संबद्ध विषय में **भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन** किया जाना चाहिये जो यह निर्धारित करते हैं कि **गारंटी केवल मूल राशि** तथा अंतर्निहित ऋण के सामान्य ब्याज **के लिये प्रदान की जानी चाहिये।**
  - [बाह्य वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowings)] के लिये गारंटी नहीं दी जानी चाहिये, **परियोजना ऋण के 80% से अधिक के** लिये गारंटी दी जानी चाहिये (ऋणदाता द्वारा लगाई गई शर्तों के आधार पर) और साथ ही निजी क्षेत्र की कंपनियों तथा संस्थानों को गारंटी प्रदान नहीं किया जाना चाहिये।
  - उचित पूर्व शर्तें जैसे कि **गारंटी की अवधि, जोखिम को कवर करने के लिये (गारंटी) शुल्क लगाना, उधार लेने वाली इकाई** के प्रबंधन बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधित्व तथा अंकेक्षण का अधिकार आदि निर्दिष्ट किया जाना चाहिये।
- **जोखिम निर्धारण, शुल्क तथा उच्चतम सीमा:**
  - कार्य-दल द्वारा अनुशंसा की गई है कि **राज्य संबद्ध इकाई के विगत व्यतिक्रम (Default) इतिहास** को ध्यान में रखते हुए **गारंटी से जुड़े जोखिम का आकलन उच्च, मध्यम अथवा निम्न जोखिम** के रूप में वर्गीकृत करके किया जाना चाहिये।
    - इन जोखिम भारों को निर्दिष्ट करने के लिये उपयोग की जाने वाली पद्धति पारदर्शी और सुस्पष्ट होनी चाहिये।
    - जोखिम मूल्यांकन के आधार पर **न्यूनतम गारंटी शुल्क न्यूनतम 2.5% प्रति वर्ष निर्धारित किया जाना चाहिये।**
  - यह रिपोर्ट इस बात पर बल देती है कि गारंटी लागू करने से राज्य सरकार पर काफी वित्तीय दबाव पड़ सकता है।
    - संभावित तनाव को कम करने के लिये, समूह ने गारंटियों पर एक सीमा लगाने का प्रस्ताव किया है, जो उन्हें **[राजस्व प्राप्तियों] (Revenue Receipts)** के 5% या [सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product - GSDP)] के 0.5%, जो भी कम हो, तक सीमित कर देगा।
- **प्रकटीकरण एवं प्रतिबद्धताओं का सम्मान:**
  - समूह की सिफारिश है कि आरबीआई को **बैंकों/NBFC को राज्य सरकार की गारंटी के साथ राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं को दिये गए ऋण का खुलासा करने का सुझाव देना चाहिये।**
  - रिपोर्ट में विस्तारित **गारंटी को ट्रैक करने के लिये एक व्यापक डेटाबेस की आवश्यकता पर बल दिया गया है,** इस उद्देश्य के लिये राज्य स्तर पर एक इकाई के निर्माण का प्रस्ताव भी है।
  - संभावित जोखिमों को स्वीकार करते हुए, रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि **गारंटी का सम्मान करने में देरी राज्य सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकती है** और कानूनी जोखिम पैदा कर सकती है।
  - यह **राज्यों को प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने के इतिहास वाली संस्थाओं को वित्त प्रदान** करते समय सतर्क रहने की सलाह देता है।
  - इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट **ऋणदाताओं और निवेशकों के बीच विश्वसनीयता बनाए रखने के लिये गारंटी का तुरंत सम्मान करने के महत्त्व पर बल** देती है।

सरकार द्वारा दी गई विभिन्न गारंटियाँ क्या हैं?

- धन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान, नकद ऋण सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के वित्तपोषण तथा कंपनियों, निगम सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों के संबंध में कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिये **RBI, अन्य बैंकों व वित्तीय संस्थानों ([भारतीय औद्योगिक वित्त निगम], [भारतीय बीमा निगम], [भारतीय यूनिट ट्रस्ट])** को दी गई गारंटी।
- धन की अदायगी, ब्याज के भुगतान आदि के लिये **भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ किये गए समझौतों के**

अनुसरण में दी गई गारंटी।

- बैंकों द्वारा कंपनियों/निगमों के पक्ष में क्रेडिट आधार पर की गई**आपूर्ति/सेवाओं के लिये विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं को प्राधिकार पत्र जारी करने पर विचार करते हुए बैंकों को जवाबी गारंटी**।
- **कंपनियों/निगमों द्वारा बकाया/माल ढुलाई शुल्क के उचित और समय पर भुगतान के लिये रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटी। (पिछले कुछ वर्षों से शून्य)**
- भारतीय कंपनियों या विदेशी कंपनियों को विदेशों में किये गए**अनुबंधों/परियोजनाओं की पूर्ति के लिये दी गई प्रदर्शन की गारंटी। (पिछले कुछ वर्षों से शून्य)**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/guidelines-on-state-guarantees-on-borrowings